

आसलपुर फार्म
उद्यान विज्ञान विभाग,
श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक: आ.फार्म/उद्यान/श्रीकनकृमवि/2026/५०७४

दिनांक: 20.04.2026

खुली बोली निलामी निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के आसलपुर फार्म के खेत संख्या 23, 24 एवं नदी वाले खेत में झाड़ियों एवं विलायती बबुल के पेड़ों की खुली बोली द्वारा निलामी की जायेगी। निलामी बोली में जो भी सज्जन भाग लेना चाहे वो दिनांक 27.04.2026 को प्रातः 11.30 बजे आसलपुर फार्म पर उपस्थित होकर निलामी में भाग ले सकते हैं।

निलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी

1. पेड़ों को जड़ सहित उखाड़कर मिट्टी को पुनः समतल करना होगा।
2. पेड़ों को फार्म पर आकर किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।
3. पेड़ों उखाड़ने एवं उठाने का कार्य प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक फार्म मैनेजर की देखरेख में करना होगा।
4. पेड़ों की लकड़िया उठाने का कार्य निलामी छूटने से 45 दिन में पूरा करना होगा।
5. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि रु1000/- नगद जमा करना होगा है। सफल बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं को ये राशि बोली उपरान्त लौटा दी जायेगी।
6. निविदा बोली छूटने पर $\frac{1}{4}$ हिस्सा रकम उसी समय तथा शेष राशि जमा करवाने के पश्चात् ही पेड़ों को उखाड़ने एवं लकड़ियों को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. बोलीदाता को निलामी से पूर्व स्वयं का वैद्य पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
8. कार्य के दौरान फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
9. बोली को मान्य या अमान्य करने का अधिकार निविदा कमेटी का होगा।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्य हेतु आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करे।
3. श्रीमान् अनुभागाधिकारी लेखा-शाखा, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।।
4. श्रीमान् संयोजक, निलाम समिति व अन्य सदस्य।
5. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी सिमका, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त प्रपत्र को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रकाशित करने कर श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
7. ग्राम पंचायत-आसलपुर, बोबास, ढाणी बोराज, गुढा बैरसल।


अधिष्ठाता